

दिनांक—11.09.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के जहानाबाद जिले के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:—

- श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
- श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
- श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
- मो० वसीम अहमद, अपर सचिव
- श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
- श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:—

I. Audit:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जहानाबाद जिले द्वारा कुल 17 योजनाओं में से मात्र 03 का ही ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराया गया है। अंकेक्षक द्वारा बताया गया कि दिनांक— 22.09.2026 तक सभी योजना का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

लोक लेखा समिति की वर्ष 2018—19 की 01 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :—

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, पंचम राज्य वित्त आयोग, 12वाँ वित्त आयोग, 13वाँ वित्त आयोग एवं बी०आर०जी०एफ० से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। अंकेक्षक द्वारा बताया गया कि पंचम राज्य वित्त आयोग में BPRC के निर्माण हेतु अनुसंधित 07 करोड़ रुपये की राशि Surrender हो गया है तथा 04 करोड़ रुपये DPRC के निर्माण में व्यय हुआ है। निदेश दिया गया कि दो दिनों के भीतर कुल 11 करोड़ रुपये की UC तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी बताया गया कि 12वाँ एवं 13वाँ वित्त आयोग से संबंधित UC तैयार करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। निदेश दिया गया कि दिनांक— 14.09.2026 को विभाग में उपस्थित होकर 12वाँ एवं 13वाँ

वित्त आयोग से संबंधित UC तैयार करने में आ रही समस्या का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

(ख) Post CFMS Period में कुल 231.01 करोड़ रुपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वाँ वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, पंचायत सरकार भवन, प्रतिनिधि भत्ता, एम0एन0वाई0 (पेयजल) एवं एम0एन0वाई0 (गली-नली) की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

III. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 1426 लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 527 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमें से 349 लोगो का ही प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

IV. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 372 प्राप्त मामलों के विरुद्ध 357 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 06 मामले लंबित है। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

V. जन-शिकायत--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 16 मामलों के विरुद्ध 14 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन-शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जून एवं जुलाई 2026 में क्रमशः कुल 25 एवं 35 Aspiration के विरुद्ध 23 एवं 35 का निष्पादन किया गया है। जुलाई माह में BPRO द्वारा कुल 17 आवेदनो को Mapping ही नहीं किया गया है। इस पर

लगातार.....

अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि दो दिनों के भीतर सभी आवेदनों का Mapping करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए। सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. पंचायत सरकार भवन की समीक्षा:-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल निर्मित 53 पंचायत सरकार भवन के विरुद्ध 53 PSB का हस्तांतरण हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 53 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 01 में बैंक, 53 में RTPS केन्द्र, 43 में विद्युत कनेक्शन, 04 में डाकघर, 02 में NOFN एवं 19 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 53 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरुद्ध मात्र 32 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 07 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज-1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 10 PSB के विरुद्ध 09 PSB का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। केवल काको प्रखंड के खालिसपुर पंचायत में निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज में है। निदेश दिया गया कि जो पंचायत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 10 दिनों के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 06 पंचायतों में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से किसी का भी निराकरण नहीं हुआ है। 02 पंचायतों में चिन्हित भूमि पर

लगातार.....

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर है। 01-01 पंचायत में जल-जमाव, स्थानीय विवाद एवं स्थल पर गड़ढा है। 01 पंचायतों में PSB हेतु भूमि अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि DDC कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता एवं BPRO के साथ बैठक कर स्थानीय विवाद का निराकरण करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतों में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है, उन पंचायतों में वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 01 स्वीकृत पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 88 पंचायतों के विरुद्ध मात्र 05 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमें से सभी 05 पंचायतों को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा सभी 10 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है। TA द्वारा तैयार 05 पंचायतों के प्राक्कलन के विरुद्ध अबतक एक भी पंचायत में ना तो व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है और ना ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। इस पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि सभी स्वीकृत पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्राप्त करते हुए अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. मुक्तिधाम, शवदाह-गृह, मृत्यु प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्थिति:-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मात्र 108 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। दिनांक- 15.09.2026 के बाद संबंधित पोर्टल में प्रविष्टि बंद कर दी जाएगी एवं पोर्टल में प्रविष्टि शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

यह भी पाया गया कि कुल 181 अंत्येष्टियों के विरुद्ध 165 मृत्यु प्रमाण-पत्र ही निर्गत किया गया है। घोसी प्रखंड में सर्वाधिक 13 मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करना शेष है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि BPRO इसकी समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई हेतु DPRO को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 01, पंचायत समिति में 04 एवं ग्राम पंचायत में 17 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिले में ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध 02 शमशान/मुक्तिधाम की सूची यथशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

X. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगति:—

(क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:—

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत
01	जिला परिषद	14.34%
02	पंचायत समिति	39.13%
03	ग्राम पंचायत	67.46%

काको प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी काफी कम है।

(ख) पिछले 05 वर्षों में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 621 के विरुद्ध मात्र 07, पंचायत समिति में 1062 के विरुद्ध 03 एवं ग्राम पंचायत में 8257 के विरुद्ध मात्र 20 योजना ही पूर्ण की गयी है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :—

1. काको प्रखंड के BDO से DDC को कारण-पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XI. षष्ठम राज्य वित्त—ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थिति:—

(क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:—

लगातार.....

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत
जिला परिषद्	06.96%
पंचायत समिति	56.45%
ग्राम पंचायत	28.11%

रतनी फरीदपुर प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी काफी कम है।

- (ख) मखदुमपुर प्रखंड में 05, काको एवं जहानाबाद प्रखंड में 04-04, घोसी प्रखंड में 02, हुलासगंज एवं मोदनगंज प्रखंड में 01-01 पंचायत ऐसे हैं, जहाँ व्यय की गयी राशि शून्य है।

यह भी पाया गया कि रतनी फरीदपुर प्रखंड के 14 पंचायतों के विरुद्ध 13 पंचायतों में 8% से भी कम राशि का व्यय हुआ है। पृच्छा करने पर BPRO द्वारा गोल-मोल उत्तर दिया गया। इस पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। प्रतीत होता है कि उनके द्वारा इस कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है। निदेश दिया गया कि रतनी फरीदपुर प्रखंड के BPRO से इस संबंध में स्पष्टीकरण किया जाए। DPRO को निदेश दिया गया कि दिनांक-16.09.2026 को उक्त प्रखंड का भ्रमण कर षष्ठम राज्य वित्त आयोग में व्यय की राशि की समीक्षा कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

साथ ही रतनी फरीदपुर प्रखंड में षष्ठम राज्य वित्त आयोग में व्यय की राशि की उच्चस्तरीय जाँच हेतु विभाग स्तर से जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को सूचित किया जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा-05)

- (ग) पिछले 05 वर्षों में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 250 के विरुद्ध 00, पंचायत समिति में 514 के विरुद्ध 76 एवं ग्राम पंचायत में 1936 के विरुद्ध मात्र 136 योजना ही पूर्ण की गयी है।
- (घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 80-85% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :-

1. रतनी फरीदपुर प्रखंड के BDO से DDC को कारण-पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. BPRO निम्न व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

लगातार.....

4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XII. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना:-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण में अद्यतन स्थिति तक जहानाबाद जिले में कुल 3172 लक्ष्य के विरुद्ध 3142 सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। 30 लाईट अभी भी अधिष्ठापित किया जाना शेष है।

(ख) चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पंचायतों में Bill Submit करने के उपरांत भी भुगतान किया गया प्रतिशत काफी कम है।

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 16 मामलों के विरुद्ध 10 का निष्पादन हुआ है।

(ग) दिनांक- 01.01.2026 से 10.09.2026 तक पंचायत सचिवों के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल 91% सोलर लाईट ON पाई गयी है, जिसमें से हुलासगंज प्रखंड में ON पाई गई लाइटों का प्रतिशत कम है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :-

1. एजेंसी से समन्वय कर 07 दिनों के अंदर 100% लाईट का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करें।
2. पंचायत स्तर पर भुगतान कराने की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की है। यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं GISR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।
3. पंचायत सचिव के द्वारा हुलासगंज प्रखंड के Inspection में OFF पाई गयी लाइटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा-01)

- XIII.** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक-9164 दिनांक- 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

- XIV.** समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि पंचायती राज विभाग के जिला/पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियों द्वारा नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं

लगातार.....

की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विस्तृत रूप में दिशा-निर्देश संसूचित कर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही सभी कर्मियों का वेतन/मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

XV. लंबित न्यायिक वाद :-

जहानाबाद जिले में कुल 02 CWJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा-9)

XVI. e- GRAM KACHAHARI :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालन:- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XVII. विधान सभा/परिषद-

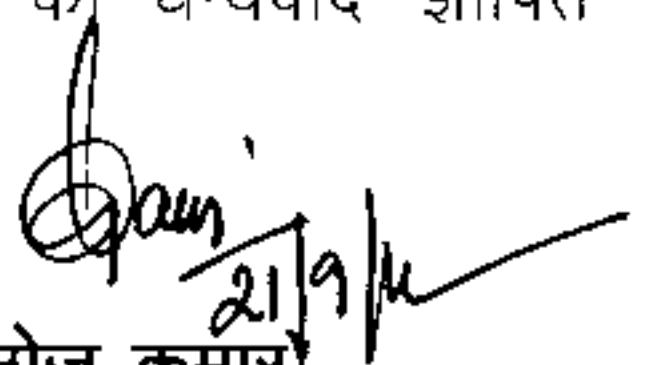
जहानाबाद जिले में कुल 19 प्रश्न लंबित है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर सभी प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा)

XVIII. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। जहानाबाद जिले में भी 39 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


(मनोज कुमार)
सचिव

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

लगातार.....

13465

ज्ञापांक:-14प०/कार्यवाही-02-02/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक 22/9/2026
प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद,
जहानाबाद /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद /अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचना एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

13465

ज्ञापांक:-14प०/कार्यवाही-02-02/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक 22/9/2026
प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर
सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी
प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

13465

ज्ञापांक:-14प०/कार्यवाही-02-02/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक 22/9/2026
प्रतिलिपि:-आईटी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने
हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी